

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(4)डीएमई/2016

जयपुर, दिनांक 24/8/17


आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8.2.2017 के द्वारा श्री सुरेश कुमार शर्मा, सहायक कार्यालय अधीक्षक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर की सेवाएं दिनांक 3.6.2016 से एक वर्ष के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई थी।

श्री सुरेश कुमार शर्मा की प्रतिनियुक्ति अवधि में द्वितीय वर्ष अर्थात् दिनांक 2.6.2018 तक अथवा अन्य आदेश जो भी पहले हो तक के लिये अवधि वृद्धि की जाती है।

उक्त प्रतिनियुक्ति अवधि राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन/परिपत्र के अध्याधीन होगी।


आज्ञा से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प-2(2)जविप्रा/संस्था/17 दिनांक 5.7.2017 के क्रम में
5. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
6. श्री सुरेश कुमार शर्मा, सहायक कार्यालय अधीक्षक, मार्फत अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज.जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।



(महेश ब्यास)

सहायक शासन सचिव